(संजय वशिष्ठ, जे.)

संजय वशिष्ठ से पहले, जे.

टिंकू @गगनदीप वर्मा-अपीलार्थी

बनाम

हरियाणा राज्य उत्तरदाता

सी. आर. ए. सं. 1949-एस. बी. 2002

12 दिसंबर, 2022

भारतीय दंड संहिता, 1860-S.148,307,307/149,323,323/149,324,324/149-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस.161-सामान्य बस्तु जब अनुमान लगाया गया-आरोपी समूह पहले से ही लैस था- चोट पंहुचाना अन्या समूह के लिए-मेडिको लेगो रिपोर्ट व्यक्तियों के समूह के कारण हुई चोटों का संकेत देती है- पूर्व सामान्य वस्तु का प्रभाव; न्यायालय के समक्ष दर्ज किये गए बयान मे सुधार-विधिवत सामना किये गए प्रश्नों को स्पष्टीकरण के लिए जिरह मे रखा गया- केवल मेरे आरोपी द्वारा चाकू से हमला करने साक्ष्य- अन्य लोग लाभ के हक़दार है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी-विनोद पंडित के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति कि छाती के बाएँ हिस्से के पार्श्व पक्ष पर वर्णित चोट, बाएँ हिस्से में चाकू से प्रहार नहीं हो सकती है, को भी यहाँ बनाए रखने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है क्योंकि इस भ्रम के बारे में स्पष्टीकरण के उद्देश्य से कोई सवाल या तो घायल करमपाल या डॉ. दया नंद (पीडब्लू 12) को नहीं पूछा गया था। जिसे हथियार दिखाया गया था।इस प्रकार, अभियुक्त/अपीलार्थी विनोद पंडित का तर्क भी विफल हो जाता है।

(पैरा 28)

आगे कहा कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, इसलिए इस तथ्य पर विचार करते हुए कि शिकायतकर्ता/घायल करमपाल और राकेश को घटना में चोटें आई थीं, मैं उनके पक्ष में मुआवजा देना उचित समझता हूं।तदनुसार, अपीलकर्ता टिंकू उर्फ गगनदीप वर्मा, नरेश बुरा, विनोद पंडित और अनिल सहरावत को रुपये जमा करने का निर्देश दिया जाता है। प्रत्येक को क्षेत्र मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुआवजे की राशि के रूप 10,000/- में और अपीलार्थी संजय जाखर @अरुण कुमार को रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है। आज से तीन महीने की अवधि के भीतर मुआवजे के रूप में 25, 000/मुआवजा की राशि जमा करने पर, इसे घायल व्यक्तियों को मुआवजे की राशि वापस लेने के लिए नोटिस जारी करने के बाद विद्वान क्षेत्र मजिस्ट्रेट द्वारा दोनों घायलों, यानी करमपाल और राकेश के बीच समान हिस्से में वितरित किया जाएगा।

(पैरा 41)

हेमंत बस्सी, विजयवीर सिंह और आशिमा नरूला, अधिवक्ता

(सी. आर. ए.-एस. 1949-एस. बी.-2002 और सी. आर. ए.-एस. 152-एस. बी.-2003 में)।

सुधीर शर्मा, अधिवक्ता (सी. आर. ए.-एस.-1955-एस. बी.-2002 में)।

पी. एस. चाहर, अधिवक्ता, (सी. आर. ए.-एस-1960-एस. बी.-2002 में)।

जैनइंदर सैनी, अधिवक्ता (सी. आर. ए.-एस.-140-एस. बी.-2003 में)।

ए. एस. चीमा, अधिवक्ता, (सी. आर. ए.-एस.-153-एस. बी.-2003 में)।

अमनदीप सिंह, अधिवक्ता, (सी. आर. ए.-एस.-189-एस. बी.-2003 में)।

विकास भारद्वाज, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा।

संजय वशिष्ठ, जे.

(1) यह निर्णय सात अपीलों का निपटारा करेगा, जिनमें सी. आर. ए.-एस. 1949-एस. बी.-2002, सी. आर. ए.-एस. 1955-एस. बी.-2002, सी. आर. ए.-एस. 1960-एस. बी.-2002, सी. आर. ए.-एस.-140-एस. बी.-2003, सी. आर. ए.-एस.-152-एस. बी.-2003, सी. आर. ए.-एस.-153-एस. बी.-2003 और सी. आर. ए.-एस.-189-एस. बी.-2003 शामिल हैं, जो क्रमशः टिंकू @गगनदीप वर्मा, भोला @अविनाश, नरेश बुरा, विनोद पंडित, संजय जाखर @अरुण कुमार, अनिल सहरावत और काला @जगदीप द्वारा दायर की गई हैं।अभियुक्त/अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 148,307,307/149,323,323/149,324 और 324/149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और उनमें से प्रत्येक को सजा देने का आदेश दिया गया था, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में विस्तृत हैः

दोषियों के नाम	खंड के तहत	सजा	जुर्माना	डिफ़ॉल्ट रूप मे
इनकू@ गगनदीप वर्मा	148 भारतीय दंड सहिता	01 वर्ष आर.आई		
	307/149 भारतीय दंड सहिता	05 वर्ष आर.आई	रुपये 1000/-	1 महीना आर.आई
	324/149 भारतीय दंड सहिता	1 वर्ष आर.आई		
	323/149 भारतीय दंड सहिता	03 महीने आर.आई		
भोला@ अविनाश	148 भारतीय दंड सहिता	01 वर्ष आर.आई		
	307/149 भारतीय दंड सहिता	05 वर्ष आर.आई	रुपये 1000/-	1 महीना आर.आई

	324 भारतीय दंड सहिता	1 वर्ष आर.आई		
	323/149 भारतीय दंड सहिता	03 महीने आर.आई		
नरेश बुरा	148 भारतीय दंड सहिता	01 वर्ष आर.आई		
	307/149 भारतीय दंड सहिता	05 वर्ष आर.आई	रुपये 1000/-	1 महीना आर.आई
	324/149 भारतीय दंड सहिता	1 वर्ष आर.आई		
	323 भारतीय दंड सहिता	03 महीने आर.आई		
विनोद पंडित	148 भारतीय दंड सहिता	01 वर्ष आर.आई		
	307/149 भारतीय दंड सहिता	05 वर्ष आर.आई	रुपये 1000/-	1 महीना आर.आई
	324/149 भारतीय दंड सहिता	1 वर्ष आर.आई		
	323/149 भारतीय दंड सहिता	03 महीने आर.आई		
संजय जाखर@ अरुण कुमार	148 भारतीय दंड सहिता	01 वर्ष आर.आई		
	307/149 भारतीय दंड सहिता	05 वर्ष आर.आई	रुपये 1000/-	1 महीना आर.आई
	324 भारतीय दंड सहिता	1 वर्ष आर.आई		
	323/149 भारतीय दंड सहिता	03 महीने आर.आई		
अनिल सहरावत	148 भारतीय दंड सहिता	01 वर्ष आर.आई		
	307/149 भारतीय दंड सहिता	05 वर्ष आर.आई	रुपये 1000/-	1 महीना आर.आई
	324/149 भारतीय दंड सहिता	1 वर्ष आर.आई		
	323/149 भारतीय दंड सहिता	03 महीने आर.आई		
काला @ जगदीप	148 भारतीय दंड सहिता	01 वर्ष आर.आई		
	307/149 भारतीय दंड सहिता	05 वर्ष आर.आई	रुपये 1000/-	1 महीना आर.आई
	324 भारतीय दंड सहिता	1 वर्ष आर.आई		

	323/149 भारतीय दंड सहिता	03 महीने आर.आई		

(संजय वशिष्ठ, जे.)

(2) वर्तमान मामले में मुकदमे की कार्यवाही हिसार के पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस में दर्ज भारतीय दंड सहिंता की धारा 148,149,323,324 और 307 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 311 दिनांक 08.11.1995 में की गई थी।चूंकि दोषसिद्धि और सजा के आदेश का विवादित निर्णय एक और सामान्य है, जो आरोपों के एक समूह से उत्पन्न होता है, इसलिए तथ्य आपराधिक अपील सं। सी. आर. ए.-एस. 1949-एस. बी.-2002, जिसका शीर्षक था "टिंकू @गगनदीप वर्मा बनाम हरियाणा राज्य"।

(3) भारतीय दंड सहिंता दिनांक 08.11.1995 प्रदर्शनीय पीए/1) वर्तमान मामले में करमपाल (घायल/शिकायतकर्ता) के बयान पर इस आरोप के साथ दर्ज किया गया कि वह 10+2, रामजस स्कूल, सोनीपत का छात्र था और 06.11.1995 पर वह अपने भाई-जयबीर से मिलने हिसार आया था, जो विश्वास स्कूल, हिसार में पढ़ रहा था।दोपहर में, लगभग 12 बजेः00 शाम को करमपाल अपने दोस्तों राकेश उर्फ बबलू, संदीप चहल, सत्यवान और प्रदीप सिंधु के साथ गली नंबर 3, जवाहर नगर, हिसार गए थे।वहाँ उन्होंने पाया कि सभी अपीलार्थी पहले से ही गली नंबर 3, जवाहर नगर, हिसार में एक नाई की दुकान के सामने खड़े थे।अभियुक्त पक्ष के पास जाकर, उन सभी ने संजय जाखर उर्फ अरुण कुमार और अन्य लोगों से कहा कि सभी की बहनों और बेटियों के साथ समान व्यवहार किया जाए और दूसरे दिन राजेश कुंडू को राकेश उर्फ बबलू की बहन से बुरी बातें नहीं करनी चाहिए थीं।यह कहते ही संजय जाखर ने अपनी जेब से चाकू निकाला और राकेश पर चाकू से कई हमले किए।अनिल सहरावत ने उस पर एक छड़ से भी हमला किया, जिससे राकेश के पेट, दोनों अग्र-भुजाओं और नाक पर चोटें आईं।राकेश मौके पर गिर गया।जब शिकायतकर्ता-करमपाल, संदीप चहल, सत्यवान और प्रदीप सिंधु ने राकेश को बचाने की कोशिश की, तो राजेश कुंडू ने शिकायतकर्ता को कृपाण से मारा और चाकू से लैस पंडित (विनोद पंडित) और हॉकी से लैस नरेश बुरा ने शिकायतकर्ता-करमपाल के बाएं हाथ/गड्ढे के आगे और पीछे भी अपने-अपने हथियारों से सिर के चारों ओर चोटें पहुंचाईं।इसके बाद संजय जाखर आदि अपने-अपने हथियारों के साथ मौके से भाग गए।अभियुक्त के अन्य सहयोगियों ने भी शिकायतकर्ता और राकेश को थप्पड़ मारा और मुक्का मारा।

(4) मामला दर्ज होने के बाद जांच शुरू की गई।अभियुक्त नरेश बुरा को 11.11.1995 पर गिरफ्तार किया गया था और उसके खुलासा बयान के आधार पर, एक हॉकी बरामद की गई थी।

अभियुक्त राजेश कुंडू को 12.11.1995 पर गिरफ्तार किया गया और उसके प्रकटीकरण बयान के आधार पर एक कृपाण बरामद किया गया।

आरोपी अनिल सेहरावत को 25.11.1995 पर गिरफ्तार किया गया था और उसके खुलासा बयान के आधार पर, एक लोहे की छड़ बरामद की गई थी।

अभियुक्त संजय जाखर को 26.11.1995 पर गिरफ्तार किया गया था और उसके खुलासा बयान के आधार पर एक चाकू बरामद किया गया था।

अभियुक्त टिंकू को 06.12.1995 पर गिरफ्तार किया गया था और उसके खुलासा बयान के आधार पर, एक चाकू बरामद किया गया था।

अभियुक्त विनोद पंडित को 08.04.1996 पर गिरफ्तार किया गया और उसके खुलासा बयान के आधार पर एक चाकू बरामद किया गया।

(5) बरामद किए गए सभी हथियारों को और प्रत्येक हथियार के लिए अलग-अलग वसूली ज्ञापन और स्थल योजना तैयार करके पुलिस के कब्जे में ले जाया गया।

(6) जाँच के दौरान, आरोपी राजेश कुंडू अपराध के समय नाबालिग पाया गया और किशोर न्यायालय में मुकदमे का सामना करने के लिए उसे फिर से एक अलग चालान दायर किया गया।

(7) अभियुक्त भोला उर्फ अविनाश और काला उर्फ जगदीप को जाँच के दौरान निर्दोष पाया गया और इस प्रकार, शुरू में उनका चालान नहीं किया गया।

(8) इस तरह, टिंकू उर्फ गगनदीप वर्मा, अनिल सहरावत, नरेश बुरा, विनोद पंडित और संजय जाखर के खिलाफ धारा 173 भ.द.स के तहत अंतिम रिपोर्ट दायर की गई।

(9) अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की शुरुआत के समय, जब घायल राकेश पीडब्लू1 के रूप में पेश हुआ, तो अभियोजन पक्ष ने अन्य पांच सह-अभियुक्तों के साथ मुकदमे का सामना करने के लिए सह-अभियुक्त भोला उर्फ अविनाश और काला उर्फ जगदीप को बुलाने के लिए धारा 319 भ.द.स के तहत एक आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन को दिनांक 01.04.1998 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी, और इसके बाद सभी सात अभियुक्तों के खिलाफ नए आरोप बनाए गए, जो इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता हैं।

(संजय वशिष्ठ, जे.)

(10) अभियोजन पक्ष ने कुल 16 गवाहों से पूछताछ की, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया हैः

पीडब्लू-1	घायल राकेश
पीडब्लू-1/ए	एस. आई. भूप सिंह
पीडब्लू-2	एच. सी. हरि राम
पीडब्लू-3	सिपाही देविंदर सिंह
पीडब्लू-4	डॉ. पवन जैन, एस. एम. ओ. (सेवानिवृत्त)
पीडब्लू-5	डॉ. बृजभूषण बंगा, सर्जन, सी. एम. सी. अस्पताल, हिसार
पीडब्लू-6	डॉ. आर. जे. बिश्नोई, चिकित्सा अधिकारी, सीएचसी, मंगली
पीडब्लू-7	डॉ. अजय गुप्ता, वरिष्ठ पंजीयक, शल्य चिकित्सा विभाग, सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली
पीडब्लू-8	सिपाही शमशेर सिंह
पीडब्लू-9	शिकायतकर्ता/घायल करमपाल
पीडब्लू-10	शमशेर सिंह, ड्राफ्ट्समैन, कोर्ट कॉम्प्लेक्स, हांसी
पीडब्लू-11	अविनाशी लाल मल्होत्रा, सेवानिवृत्त प्राचार्य, विश्वास

	सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिसार
पीडब्लू-12	डॉ. दया नंद, चिकित्सा अधिकारी, सामान्य अस्पताल, हिसार
पीडब्लू-13	सिपाही बलवान सिंह
पीडब्लू-14	एएसआई ईश्वर सिंह

पीडब्लू-15	हेड कांस्टेबल राजमल

(11) बचाव में, सूरज भान नामक एक गवाह से डी. डब्ल्यू.-1 के रूप में पूछताछ की गई, और दस्तावेज़ एक्स. डी. डी., डी. ई. और डी. एफ. के लिए टेंडर किया गया था।

(12) धारा 313 भ.द.स के तहत दर्ज किए गए बयानों में, सभी अभियुक्तों ने बेगुनाही और गलत निहितार्थ का अनुरोध किया।

(13) अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद, विद्वत विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.11.2002 के विवादित निर्णय के माध्यम से सभी सात अभियुक्तों/अपीलार्थियों को दोषी ठहराया और दिनांक 29.11.2002 की सजा मे अलग-अलग आदेश के माध्यम से उन्हें कारावास से गुजरने का आदेश दिया, जैसा कि इस निर्णय के शुरुआती भाग में पहले ही देखा जा चुका है।

(14) इसलिए, 2002/2003 के बाद से इस न्यायालय के समक्ष ये सात अपीलें हैं।

(15) अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों का जिक्र करते हुए, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष के प्रारंभिक संस्करण के अनुसार, चाकू से कई वार करने का आरोप केवल आरोपी संजय जाखर के खिलाफ था और किसी और के खिलाफ नहीं था।चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार, राकेश उस चोट का शिकार है जिसे जीवन के लिए खतरनाक घोषित किया गया है।इस प्रकार, हत्या करने का इरादा, जिसके लिए अन्य सभी अभियुक्तों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, टिकाऊ नहीं है।इसलिए,भारतीय दंड सहिता धारा 307/149 के तहत अन्य कथित अभियुक्तों को भी दोषी नहीं ठहराया जाता है।

(16) यह भी तर्क दिया जाता है कि गवाह-बक्से में उपस्थित होते समय, घायल राकेश ने अपने बयान में सुधार किया है, जिसमें अदालत के समक्ष अपने बयान के दौरान, उसने आरोपी काला उर्फ जगदीप और भोला उर्फ अविनाश के खिलाफ चाकू से वार करने का कारण भी बताया और कहा कि आरोप का एक हिस्सा उसके पहले के बयान (प्रदर्शनीय डी. ए.), धारा 161 भ.द.स के तहत दर्ज किया गया, जिसमें यह दर्ज नहीं किया गया था कि इन दो अभियुक्तों (काला @जगदीप और भोला @अविनाश) ने इस गवाह को चोट पहुंचाई थी।

(17) घायल राकेश के बयान पर हमला करते हुए, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि चूंकि आरोपी व्यक्तियों के पहुंचने से पहले ही मौके पर मौजूद होने का आरोप लगाया गया था,समान वस्तु के बटवारे का आरोप सही नहीं पाया जाता है और इसलिए, भारतीय दंड सहिता की धारा 307/149 और 324/149 भारतीय दंड सहिता के तहत दोष सिद्धि नहीं की गई है।

(संजय वशिष्ठ, जे.)

18) अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील-विनोद पंडित ने यह भी प्रस्तुत किया कि उन्हें करमपाल (शिकायतकर्ता/घायल) के बाएं हिस्से में चोट लगी है, लेकिन चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार ऐसी कोई चोट नहीं है।इसलिए, विनोद पंडित की भागीदारी भी अत्यधिक संदिग्ध है।

(19) भोला @अविनाश और काला @जगदीप का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने तर्क दिया कि विद्वान ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के प्रत्येक पहलू की जांच करने में विफल रहा है।पुलिस जांच के अनुसार, वे दोनों घटना स्थल पर मौजूद नहीं पाए गए और इसलिए उन्हें निर्दोष घोषित कर दिया गया।बाद में, उन दोनों को पहले से ही चालान किए गए अभियुक्तों के साथ मुकदमे की कार्यवाही में शामिल होने के उद्देश्य से धारा 319 भ.द.स के तहत तलब किया गया था।विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि उनकी भागीदारी को शिकायतकर्ता के प्रत्यावर्तन की विश्वसनीयता के मानक के साथ देखा जाना चाहिए, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और उसके बाद अदालत के समक्ष बयान के समय।

विद्वान वकील ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में अभियोजन पक्ष के प्रारंभिक संस्करण को करमपाल (शिकायतकर्ता/घायल) के बयान के रूप में भी संदर्भित किया, जिसमें उन्होंने केवल मौके पर उन दोनों की उपस्थिति का उल्लेख किया था, लेकिन किसी भी हथियार को पकड़ने या उक्त घटना में उनके द्वारा निभाई गई किसी भी तरह की भूमिका के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है।

(20) पीडब्लू-1 राकेश (घायल) के बयान का उल्लेख करते हुए, यह बताया गया है कि आरोपी संजय जाखर द्वारा छुरा घोंपने के बाद, आरोपी काला उर्फ जगदीप द्वारा चाकू से एक और छुरा घोंपने और भोला उर्फ अविनाश द्वारा घायल राकेश की क्रमशः बाईं और दाहिनी बाहों पर चाकू से एक और छुरा घोंपने का आरोप है, लेकिन जिरह के पहले भाग में, कहा गया कि आरोप उनके (राकेश) बयान (प्रदर्शनीय डी. ए.) धारा 161 भ.द.स के तहत दर्ज किया गया।

(21) अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि घायल/शिकायतकर्ता करमपाल ने भी भोला @अविनाश और काला @जगदीप द्वारा राकेश के व्यक्ति पर अपने-अपने चाकू से चोट पहुँचाने का आरोप लगाते हुए अदालत के समक्ष दर्ज अपने बयान में सुधार किया।हालाँकि, उक्त भाग को उनके पहले के बयान एक्स से भी सामना करना पड़ा। प्रदर्शनीय पी. ए./1 (प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्करण), जिसमें उक्त भूमिका का उल्लेख नहीं पाया गया था।इस तरह, विद्वान वकील का तर्क है कि भोला @अविनाश और काला @जगदीप के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं माना जा सकता है, जो सुधार पर आधारित है और बनाया गया है। शिकायतकर्ता/स्वयं घायल होने का संस्करण, जबकि सह-आरोपी संजय जाखर द्वारा राकेश के व्यक्ति पर अपने चाकू से कई चाकू मारने के बारे में विशिष्ट उल्लेख है।इस प्रकार, शुरू में लगाए गए आरोप यदि सही पाए जाते हैं, तो आरोपी भोला @अविनाश और काला @जगदीप के खिलाफ स्वीकार्य सबूत के रूप में कुछ भी नहीं बचा है।

(22) दूसरी ओर, हरियाणा के सहायक महाधिवक्ता श्री विकास भारद्वाज ने अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वकील की दलीलों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि सभी अभियुक्तों के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही सामने

आए, जिसे बिना समय गंवाए दर्ज किया गया था।शिकायतकर्ता/घायल करमपाल के कहने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसे खुद घटना में चोटें आई थीं।इस प्रकार, मौके पर सभी अभियुक्तों की उपस्थिति अच्छी तरह से साबित होती है।इसके अलावा, एक अन्य घायल-राकेश (पीडब्लू-1) के बयान के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रारंभिक संस्करण की पूरी तरह से पुष्टि की गई है, जो उस चोट का शिकार है जिसे जीवन के लिए खतरनाक घोषित किया गया था।अतः घायल गवाह के बयान पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

(23) विद्वान राज्य के वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के रुख के समर्थन में, दो, यानी भोला @अविनाश और काला @जगदीप को छोड़कर सभी अभियुक्तों से हथियारों की बरामदगी भी की गई है, जिन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था और जिन्हें पुलिस जांच में निर्दोष पाया गया था।वह यह भी प्रस्तुत करता है कि अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य चुनौती योग्य नहीं है और कोई भी आरोपी बरी होने का हकदार नहीं है।

(24) दोनों पक्षों के सभी संबंधित वकीलों को सुनने और रिकॉर्ड को ध्यान से देखने के बाद, मैंने पाया कि अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा संबोधित प्रस्तुतिकरण में कोई सार नहीं है कि सामान्य उद्देश्य का मुद्दा गायब है और भारतीय दंड सहिता की धारा 149 लागू नहीं होगी।प्रथम सूचना रिपोर्ट को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि तीन अभियुक्तों के पास चाकू थे, एक के पास हॉकी और एक के पास लोहे की छड़ थी।अभिलेख पर कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है या अदालत को यह समझाने के लिए कुछ भी संबोधित नहीं है कि किस कारण से आरोपी पहले से ही एक कंपनी में घटना स्थल पर खड़े थे, वह भी हथियारों से लैस।निस्संदेह, यह विरोधी समूह के लड़कों, यानी शिकायतकर्ता/पीड़ित पक्ष को चोट पहुँचाने के लिए था, जिनके कुछ समय बाद वहाँ पहुंचने की उम्मीद थी।इस प्रकार, केवल उक्त परिस्थिति से, यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि सभी अभियुक्तों के मन में पूर्व में एक ही उद्देश्य था।

(25) इसके अलावा, डॉ. दया नंद, चिकित्सा अधिकारी, सामान्य अस्पताल, हिसार, पीडब्लू-12 के रूप में उपस्थित हुए, जिन्होंने 12 बजे 08.11.1995 पर घायल राकेश की जांच की थी:55 और अपने व्यक्ति पर निम्नलिखित चोटों को देखाः

“1. नाक पर लाल चोट लगी थी।नासिका में खून जमा हुआ था।

ए. कोहनी के जोड़ के ठीक ऊपर बाईं ऊपरी बांह के एंटेरियो पार्श्व पहलू पर 3 सेमी x 1 एक्स।x2 से. मी.पर कटा हुआ घाव । ताजा खून बह रहा था।

ख. बाएँ अग्र-भुजा पर कटा हुआ घाव आकार 2.5 सेमी 1 x 1 सेमी।ताजा खून बह रहा था।

ग. दाहिने ऊपरी हाथ के दाहिने पार्श्व पहलू पर घाव।कटा हुआ आकार 2.2.से. मी.x 1 सेमी x 0.8 सेमी। ताजा खून बह रहा था।

घ. दाहिने अग्र-भुजा पर कलाई के जोड़ के ठीक ऊपर 2 x 0.9 x 0.5 सेमी आकार का कटा हुआ घाव।

ई. नाभि से 8 सेंटीमीटर ऊपर और 4 सेंटीमीटर ऊपर पेट पर धारदार मार्जिन के साथ आकार 2.5 x 1 सेमी नोकिले किनारों पर चाकू का घाव था।गहराई की जाँच नहीं की गई थी।ताजा खून बह रहा था।

विभिन्न एक्स-रे, चोट लगी सामान्य ऑर्थो और ई. एन. टी. सर्जन की राय दी गई।चोटों को निगरानी में रखा गया और 6 घंटे की अवधि के भीतर किया गया।चोट संख्या 1 को छोड़कर सभी चोटें एक तेज हथियार से लगी थीं और चोट संख्या 1 एक कुंद हथियार से लगी थी।....."

(संजय वशिष्ठ, जे.)

(26) उसी दिन, दोपहर 1.25 बजे करमपाल (शिकायतकर्ता/घायल) की भी चिकित्सकीय-कानूनी जांच की गई, डॉ. दया नंद (पीडब्लू-12) द्वारा उनके व्यक्ति पर निम्नलिखित चोटें देखी गईः-

"उसी दिन दोपहर 1.25 बजे मैंने हिसार की फ्रेंड्स कॉलोनी के 22 वर्षीय टेक राम के बेटे करम पाल की भी चिकित्सकीय-कानूनी जांच की और निम्नलिखित चोटें पाईः-

1. खोपड़ी के बाईं ओर ओसीपीटल प्रोट्यूबरेंस और 3 सेमी के ठीक ऊपर एक घाव था। और 3 सेमी आकार की पार्श्व से मध्य रेखा।x 1 सेमी।x.8 से. मी.ताजा खून बह रहा था।

2. 5 सेमीx4 सेमी। सेंटीमीटर आकार के माथे पर लाल संदूषण।

3. छाती के बाईं ओर 1 सेंटीमीटर x.5 सेंटीमीटर.x.3 सेंटीमीटर. आकार का एक नुकीला घाव था।ताजा खून बह रहा था।

मैंने खोपड़ी और छाती के एक्स-रे की सलाह दी।सभी चोटों को छह घंटे की अवधि के भीतर निगरानी मे रखा गया था।चोट संख्या 1 और 2 कुंद हथियार से और तीसरी तेज हथियार से लगी थी।....."

(27) उपरोक्त चोटों का कारण भी अभियोजन संस्करण को संभावित बनाता है, यानी व्यक्तियों के समूह द्वारा चोटों का कारण बनना।इस प्रकार, भारतीय दंड सहिता की धारा 149 के तहत आरोपों से बाहर आने के लिए अभियुक्तों के लिए कोई बचाव नहीं है, एक बार जब उन सभी को सशस्त्र कहा जाता है और उनसे हथियारों की बरामदगी की जाती है।

(28) जहाँ तक अभियुक्त/अपीलार्थी विनोद पंडित के संबंध में संबोधित तर्क है कि चिकित्सा-कानूनी जांच में पता चला है कि चोट किस कारण लगी है यहाँ भी टिकने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एक्स. पी. ए./1), कृपाण से लैस राजेश कुंडू, हाथ में चाकू से लैस विनोद पंडित और हाथ में हॉकी से लैस नरेश बुरा को करमपाल (शिकायतकर्ता/घायल) के चोटों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।जब करमपाल (शिकायतकर्ता/घायल) गवाह पेटी में पीडब्लू-9 के रूप में पेश हुआ, तो वह अपने बयान में उन्होंने कहा कि "विनोद पंडित ने मेरे बाएं हिस्से में चाकू से वार किया।.....".में। चिकित्सा परीक्षण, चोट संख्या 3, अर्थात "एक तेज धार वाला घाव।1 से. मी. आकार की छाती के बाईं ओर का पार्श्व पहलू।x.5 से. मी.x.3 से. मी.ताज़ा।खून बह रहा था।", उल्लेख किया गया है।पार्श्व के बाईं ओर चाकू से प्रहार करने से चोट संख्या 3 लगने की संभावना होती है।अपीलार्थी-विनोद पंडित के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति कि छाती के बाईं ओर के पार्श्व

पक्ष पर वर्णित चोट, बाईं ओर चाकू से प्रहार नहीं हो सकती है, भी यहाँ बनाए रखने के लिए कोई जगह नहीं पाती है क्योंकि इस भ्रम के बारे में स्पष्टीकरण के उद्देश्य से कोई सवाल या तो घायल धर्मपाल या डॉ. दया नंद (पीडब्लू-12) को नहीं पूछा गया था, जिन्हें हथियार दिखाया गया था।इस प्रकार, अभियुक्त/अपीलार्थी विनोद पंडित का तर्क भी विफल हो जाता है।

(29) अपीलकर्ताओं-टिंकू @गगनदीप वर्मा, नरेश बुरा, विनोद पंडित, संजय जाखर @अरुण कुमार और अनिल सहरावत की ओर से कोई अन्य निवेदन नहीं है।

(30) अभियुक्त/अपीलार्थी भोला @अविनाश और काला @जगदीप की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों के संबंध में, मैंने सावधानीपूर्वक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एक्स. पी. ए./1) में पढ़ा और पता किया कि प्रस्तुतियाँ सही हैं।शिकायतकर्ता करमपाल द्वारा उक्त दोनों अभियुक्तों/अपीलार्थियों के नामों का उल्लेख करने के अलावा, किसी भी हथियार को पकड़ने या चोट पहुँचाने या किसी अन्य आरोप जैसे कि लालकारा उठाने आदि के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। जब घायल गवाह अदालत के समक्ष पेश हुए, तो निश्चित रूप से पीडब्लू-1 राकेश और पीडब्लू-9 करमपाल ने अपदस्थ कर दिया। भोला उर्फ अविनाश और काला @जगदीप ने राकेश के व्यक्ति पर चाकू से वार किया।घायल राकेश (पी डब्लू-1) द्वारा अपदस्थ मुख्य परीक्षा का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार कहता हैः-

“.....घटना से कुछ दिन पहले आरोपी राजेश कुंडू ने मेरी बहन के साथ दुर्व्यवहार किया था और जब उपरोक्त सभी आरोपी गली नंबर 3 पर 8.11.1995 पर पहुंचे, जहां हम खड़े थे, तो मेरे दोस्त करम पाल ने टिप्पणी की कि बहनें और माताएं सभी के लिए समान हैं और किसी को भी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसा कहने पर, आरोपी संजय जाखर ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मेरे पेट पर चाकू से वार किया, जिसके बाद आरोपी काला ने चाकू से एक और वार किया और आरोपी भोला ने मेरी बाईं और दाहिनी बाहों पर चाकू से एक और वार किया।.....”

(संजय वशिष्ठ, जे.)

(31) जिरह में, जब उक्त गवाह का सामना किया गया, तो उसने कहाः-

“XXXX. पर सभी अभियुक्तों की ओर से।

मैंने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पुलिस के सामने कहा था कि काला और भोला ने मेरी दाहिनी और बाईं बाहों पर चाकू से वार किया था। प्रदर्शनीय डी. ए. जो धारा 161 भ.द.स के तहत रूबरू होकर बयान दर्ज कराया जिसमें यह दर्ज नहीं है कि इन दो अभियुक्तों काला और भोला ने इस गवाह को चोट पहुँचाई थी)।यह कहना गलत है कि न तो उपरोक्त दो अभियुक्तों और न ही किसी अन्य अभियुक्त ने मेरे द्वारा ऊपर वर्णित तिथि और समय पर मेरे व्यक्ति को कोई चोट पहुंचाई थी।स्वैच्छिक रूप से जोड़ा गया कि पुलिस ने यू/एस 161

भ.द.स के तहत मेरा बयान दर्ज करते समय जानबूझकर काला और भोला द्वारा मेरे व्यक्ति को चाकू से घायल करने के तथ्य को हटा दिया था।यह कहना गलत है कि मैंने हमलावरों के रूप में काला उर्फ जगदीप और भोला उर्फ अविनाश के नामों का उल्लेख नहीं किया।दोनों चाकू से लैस थे।यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस के सामने ऐसा नहीं कहा था।यह भी गलत है कि इन दोनों अभियुक्तों ने चाकू से चोट नहीं पहुंचाई थी।गवाह का ध्यान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए उसके बयान प्रदर्शनीय डीए की ओर आकर्षित होता है- जिसमें इसे दर्ज नहीं किया गया है।"

(32) इसी तरह, शिकायतकर्ता/घायल करमपाल (पीडब्लू-9) का भी जिरह के दौरान उनके पहले के बयान से आमना-सामना हुआ।और इसका प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैः-

"XXXXXXX.अभियुक्त की ओर से।

मैंने अपने बयान प्रदर्शनीय पी ए में काला उर्फ जगदीप और भोला उर्फ अविनाश के नामों का उल्लेख किया था। मैने पुलिस के सामने यह भी कहा था कि काला और भोला अभियुक्तों ने राकेश (पीडब्लू-1) के व्यक्ति को भी चाकू से घायल कर दिया था।गवाह का ध्यान उसके बयान एक्स की ओर आकर्षित किया जाता है। प्रदर्शनीय पी. ए. जिसमें यह दर्ज नहीं है कि उन्होंने चाकू से वार किए थे।

" (33) उपरोक्त साक्ष्य के अलावा, अभियुक्त भोला उर्फ अविनाश और काला उर्फ जगदीप द्वारा चाकू से चोट पहुँचाने के अपने बेहतर आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के पास कुछ भी नहीं है, जिन्हें शुरू में पुलिस ने निर्दोष पाया था और जिनका चालान नहीं किया गया था।स्थिति के इस दृष्टिकोण में, अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में कमजोर और बेहतर साक्ष्य के साथ, इन दो अभियुक्तों, यानी भोला @अविनाश और काला @जगदीप की संलिप्तता को किसी भी मजबूत सबूत के अभाव में अत्यधिक संदिग्ध माना जाता है।नतीजतन, अपीलकर्ता भोला उर्फ अविनाश और काला उर्फ जगदीप बरी होने के लायक हैं।

(34) उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, भोला @अविनाश और काला @जगदीप, अर्थात सी. आर. ए.-एस.-1955-एस. बी.-2002 और सी. आर. ए.-एस. 189-एस. बी.-2003 द्वारा दायर अपीलों को अनुमति दी जाती है और वे वर्तमान मामले में उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी हो जाते हैं।

(35) हालांकि, शेष पांच अपीलें, यानी सी. आर. ए.-एस. 1949-एस. बी. -

2002, सी .आर.ए-एस-1960- एस. बी. **2002,** सी. आर. ए **-** एस **-140-** एस. बी **-2003,** सी. आर. ए.-एस **-152-** एस. बी **-**2003, और सी. आर. ए.-एस-153 **-** एस. बी **-**2003 टिंकू उर्फ गगनदीप वर्मा, नरेश बुरा, विनोद पंडित, संजय जाखर उर्फ अरुण कुमार और अनिल सहरावत द्वारा दायर और सी. आर. ए.-एस.-153-एस. बी.-2003 को क्रमशः दोषसिद्धि पक्ष से खारिज कर दिया गया है।

(36) अपील में सजा की मात्रा का पुनर्मूल्यांकन करने के उद्देश्य से, जिसे विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दिनांकित 29.11.2002 आदेश के माध्यम से दिया गया था, संबंधित विद्वत वकील को अपनी दलीलें प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है।

(37) अपीलार्थियों के विद्वान वकील का कहना है कि राज्य के विद्वान वकील द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए अभिरक्षा प्रमाणपत्रों, दिनांक 8.11.2022 के अनुसार, अपीलार्थी टिंकू उर्फ गगनदीप वर्मा, नरेश बुरा, विनोद पंडित, संजय जाखर उर्फ अरुण कुमार और अनिल सहरावत को निम्नलिखित रूप में कारावास से गुजरना पड़ा हैः

क्रम संख्या	दोषी/अपीलार्थी का नाम	कुल सजा सुनाई गई
1	टिंकू @गगनदीप वर्मा	02 महीने और 22 दिन
2	नरेश बुरा	02 महीने और 28 दिन
3	विनोद पंडित	01 वर्ष, 10 महीने और 14 दिन
4	संजय जाखर @अरुण कुमार 1 वर्ष और 16 दिन	01 वर्ष, और 16 दिन
5	अनिल सहरावत	03 महीने और 08 दिन

(संजय वशिष्ठ, जे.)

(38) विद्वान वकील द्वारा यह भी कहा गया है कि उपरोक्त अपीलार्थी वर्तमान मामले में जमानत पर हैं।घटना के समय, यानी नवंबर, 1995 में, वे सभी 18 वर्ष से कम आयु के थे और अब वे सभी अपने परिवार के साथ अपने जीवन में अच्छी तरह से बसे हुए हैं।उन्हें वापस जेल भेजने से न केवल अपीलार्थियों बल्कि उनके परिवारों की भविष्य की संभावनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।इसलिए, यह आग्रह किया जाता है कि उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए।

(39) विद्वान वकील ने यह भी बताया कि अपीलार्थी-नरेश बुरा को इस अदालत द्वारा सीआरए-एस-1960-एसबी-2002 में सीआरएम-54042-2010 में पारित दिनांक 27.01.2016 के आदेश द्वारा किशोर घोषित किया गया था; अपीलार्थी-संजय जाखर @अरुण कुमार को इस अदालत द्वारा सीआरए-एस-152-एसबी-2003 में सीआरएम-3515-2016 में पारित दिनांक 05.12.2016 के आदेश द्वारा किशोर घोषित किया गया था; और अपीलार्थी-अनिल सहरावत को इस अदालत द्वारा सीआरए-एस-153-एसबी-2003 में सीआरएम-58787-2010 में पारित दिनांक 29.03.2017 के आदेश द्वारा किशोर घोषित किया गया था। इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि उन्हें जमानत पर रिहा करने के वर्षों की अवधि के बाद फिर से जेल के अंदर भेजने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जब अपीलकर्ताओं द्वारा अपराध किया गया था जब वे बालिग होने की आयु भी प्राप्त नहीं कर चुके थे।

(40) उपरोक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, मेरा विचार है कि घटना के समय अपीलकर्ता टिंकू @गगनदीप वर्मा, नरेश बुरा, विनोद पंडित, संजय जाखर @अरुण कुमार और अनिल सहरावत कम उम्र के थे और दिनांकित 08.11.2022 अभिरक्षा प्रमाणपत्रों के अनुसार, उन्होंने सजा का कुछ हिस्सा भी झेला है।इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ता टिंकू उर्फ गगनदीप वर्मा, नरेश बुरा, विनोद पंडित, संजय जाखर उर्फ अरुण कुमार और अनिल सहरावत को उन अवधि के लिए सजा देने का आदेश दिया जाता है जो उनमें से प्रत्येक पहले ही जेल में बिता चुके हैं।तदनुसार, विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित सजा के विवादित आदेश, दिनांक 29.11.2002 को उस हद तक संशोधित किया जाता है।

(41) विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, इसलिए इस तथ्य पर विचार करते हुए कि शिकायतकर्ता/घायल करमपाल और राकेश को घटना में चोटें आई थीं, मैं उनके पक्ष में मुआवजा देना उचित समझता हूं। तदनुसार, अपीलकर्ता टिंकू उर्फ गगनदीप वर्मा, नरेश बुरा, विनोद पंडित और अनिल सहरावत को रुपये 10, 000/- प्रत्येक को क्षेत्र मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुआवजे की राशि के रूप में जमा करने का निर्देश दिया जाता है और अपीलार्थी संजय जाखर @अरुण कुमार को रुपये 25, 000/- आज से तीन महीने की अवधि के भीतर मुआवजे के रूप में राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है। मुआवजे की राशि जमा करने पर, इसे घायल व्यक्तियों को मुआवजे की राशि वापस लेने के लिए नोटिस जारी करने के बाद विद्वान क्षेत्र मजिस्ट्रेट द्वारा दोनों घायलों, यानी करमपाल और राकेश के बीच समान हिस्से में वितरित किया जाएगा।हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि मुआवजे की उपरोक्त राशि जमा करने में चूक की स्थिति में, विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित 29.11.2002 दिनांकित सजा का आदेश लागू होगा।

(42) शुद्ध परिणाम में, भोला @अविनाश द्वारा दायर अपील और काला @जगदीप, अर्थात सी. आर. ए.-एस. 1955-एस. बी.-2002 और सी. आर. ए.-एस. 189-एस. बी.-2003 **शेष पाँच अपीलों, अर्थात सी. आर. ए.-एस. 1949-एस. बी.-2002, के दौरान अनुमति दी जाती है।सी. आर. ए.-एस-1960-एस. बी.-2002, सी. आर. ए.-एस-140-एस. बी.-2003, सी. आर. ए.-एस.-152-एस. बी.-2003,**

टिंकू @गगनदीप वर्मा, नरेश बुरा, विनोद पंडित, संजय जाखर @अरुण कुमार और अनिल सहरावत द्वारा दायर क्रमशः और सी. आर. ए.-एस.-153-एस. बी.-2003 को उनकी दोषसिद्धि के कारण खारिज कर दिया जाता है और उनकी सजा को पिछले पैराग्राफ में बताए गए तरीके से संशोधित किया जाता है।लंबित आपराधिक विविध आवेदनों, यदि कोई हों, का भी तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(43) इस निर्णय की प्रति जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए विद्वत विचारण न्यायालय/क्षेत्र न्यायाधीश को भेजी जाए।

दिव्य सरूप

आशा रानी

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और

अधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।